HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification
The 10th March, 2018

No. 17-HLA of 2018/17/4104.— The Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 17- HLA of 2018

THE HARYANA GROUP D EMPLOYEES (RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) BILL, 2018

A

BILL

to regulate the recruitment and conditions of service of the Haryana Group D employees in the State and for the matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of the India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018.
   (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
   (3) It shall apply to the persons appointed to any post of Group D, whether temporary or permanent, in the State or Subordinate Services, except to the extent otherwise expressly provided-
      (a) by or under any law for the time being in force; or
      (b) in respect of any member of such Service by a contract or agreement subsisting between such member and the Government.
Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) “appointing authority” means the authority specified as such in the Service rules made under proviso to article 309 of the Constitution of India in respect of any Service or post;

(b) “appointment” means an appointment of a member of Service in accordance with this Act or the rules applicable at the time of such appointment, as the case may be, who discharges, for the first time, the duties of a post borne on the cadre of such Service or commences the probation, instruction or training prescribed thereof;

Explanation.- The appointment of a person holding a post borne on the cadre of one Service to hold additional charge of a higher post in the same Service or a post borne on the cadre of another Service or to discharge the current duties thereof does not amount to appointment to the latter post or Service;

(c) “approved probationer” means a member of Service who has satisfactorily completed his probation and awaits appointment as a full member of such Service or category;

(d) “direct appointment” means an appointment made otherwise than by promotion or by transfer of a person already in the service of any State Government or Government of India;

(e) “discharged probationer” means a full member or an approved probationer of another service or category reverting him to such service or whose services have been dispensed with;

(f) “full member” means a member who has been confirmed in the Service in which he has been first appointed;

(g) “Government” means the Government of the State of Haryana in the General Administration Department;

(h) “Head of Department” shall have the same meaning as assigned to it in clause (38) of rule 8 of the Haryana Civil Services (General) Rules, 2016 and includes any other authority specially appointed by the Government to exercise the powers of the Head of Department;

(i) “Head of Office” shall have the same meaning as assigned to it in clause (39) of rule 8 of the Haryana Civil Services (General) Rules, 2016;

(j) “member of Service” means a person who has been appointed to Service but does not include a person appointed under sub-section (1) of section 8;

(k) “recruiting agency” means the Haryana Staff Selection Commission or such other body constituted by the Government for selection of candidates for appointment to Service;

(l) “recognized university or institution” means,-

(i) any university or institution incorporated by law in India; or

(ii) any other university or institution, which is declared by the Government to be a recognized university or institution for the purposes of this Act;

(m) “Schedule” means the Schedule appended to this Act;

(n) “Service” means any Group D Service in the State;

(o) “Service rules” means the Service rules made under the proviso to article 309 of the Constitution of India regulating the recruitment and condition of Service of Group D posts in the State;

(p) “State” means the State of Haryana.

Authorities empowered to make appointment.

3. The appointment to all the posts in the Service shall be made by the Head of Department or Head of Office, as the case may be.
4. The Haryana Civil Services (General) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Pay) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Travelling Allowance) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Allowances) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (General Provident Fund) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Government Employees’ Conduct) Rules, 2016 and the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, shall in so far as they are applicable and except to the extent expressly provided in this Act, govern members of Service in the matters of their pay, allowances, leave, pension and other conditions of Service.

5. The permanent cadre, category and grade pay of the Service shall be determined by the Government.

6. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than eighteen years or more than forty-two years of age:
   Provided that where different lower and upper age limits have been specifically prescribed for posts in the Service rules, those limits shall be applicable for appointment to such posts:
   Provided further that in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, ex-servicemen and persons with disability categories, the upper age limit shall be such, as may be fixed by the Government, from time to time.

7. Recruitment to all posts in the Service shall be made by recruiting agency:
   Provided that the recruitment to the posts of Sweeper, Chowkidar and Sweeper-cum-Chowkidar shall be made by such other bodies as may constituted by the Government, from time to time.

8. (1) Where in the opinion of the Government, special provisions inconsistent with any of the provisions of this Act or any other Service rules made under the proviso to article 309 or continuing by article 313 of the Constitution (hereinafter referred to in this section as the said rules) are required in respect of recruitment, conditions of service, pay, allowances, pension, discipline and conduct with reference to any particular or all posts in the Service, the Government may make appointment to such post otherwise than in accordance with this Act or the said rules and provide by an agreement with the person so appointed for any of the matters in respect of which in the opinion of the Government special provisions are required to be made and to the extent to which such provisions are made in the agreement. Nothing in this Act or the said rules shall apply to any person so appointed in respect of any matter for which provision is made in the agreement:
   Provided that in respect of any matter in respect of which, no provision has been made in the agreement, the provisions of this Act or of the said rules shall apply.
   (2) A person appointed under sub-section (1) shall not be a member of Service and shall not be entitled by reason only of such appointment to any preferential claim to any other appointment in that Service or any other Service.

9. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of the First Schedule in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Schedule in the case of persons appointed other than by direct recruitment.
   (2) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,-
   (a) a citizen of India; or
   (b) a subject of Nepal; or
   (c) a subject of Bhutan:
   Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.
   (3) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination conducted by the recruiting agency but the offer of appointment shall be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.
No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

No person—
(a) who has entered into a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any post in the Service:
Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to marriage and there are other grounds for doing so, exempt person from the operation of this section.

Selection criteria.

In the case of selection and recommendation of the names of candidates to a department or an office for Group D posts, there shall be no interview and there shall be written exam and criteria for selection shall be such, as specified in the Second Schedule.

A candidate may apply for any number of departments and indicate his priority for such departments.

Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise:
Provided that,—
(a) any period after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this section; and
(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—
(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and
(b) if such person is appointed otherwise, than by direct recruitment,—
(i) revert him to his former post; or
(ii) deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit.

On the completion of period of probation of a person, the appointing authority may,—
(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—
(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—
(i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit; or
(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:
Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.
12. A discharged probationer whose services have been dispensed with under section 11, may file an appeal against such order passed by the competent authority.

13. An approved probationer shall be considered for confirmation immediately after the satisfactory completion of his probation. Such confirmation shall be made in the entry level post to which he was first appointed and an order shall be issued for confirmation of Service.

14. Seniority, inter-se of the members of Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the recruiting agency shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they are promoted or transferred; and

(d) in the case of members recruited by transfer from the same office, seniority shall be determined according to seniority in the appointments previously held in that cadre;

(e) in the case of members appointed by promotion/ transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointments, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also same, the older member shall be senior to the younger member.

15. No member of Service shall be eligible for promotion from the category in which he was appointed to the Service unless he has satisfactorily completed his probation in that category:

Provided that a member of a Service who, having satisfactorily completed his probation in the category in which he was appointed to the service, has been promoted to the next higher category shall, notwithstanding that he has not been declared to have satisfactorily completed his probation in such higher category be eligible for promotion from such higher category:

Provided further that if the scale of pay or pay band or pay matrix of post in the feeder categories are different, the person holding post carrying a higher scale of pay or pay band or pay matrix in the feeder category shall be considered first and that, if no qualified and suitable persons holding post in that feeder category are available, the persons holding post carrying the next higher scale of pay or pay band or pay matrix in descending order in other feeder categories shall be considered.

16. Appointment by recruitment on transfer basis to the Service from among the holders of posts in a Subordinate Service shall be made on grounds of merit and ability, seniority being considered only where merit and ability are approximately equal.

17. No member of Service, who is on extension of Service after superannuation, shall be considered for appointment either by promotion or by recruitment by transfer to a higher category, during the period of extension of Service.
Consequence of resignation.

18. A member of Service shall, if he resigns from his appointment, forfeit the service rendered by him on the particular post held by him at the time of resignation and also all his previous service under the Government. The re-appointment of such person to any Service shall be treated in the same way as a first appointment to such Service by direct recruitment and all the provisions governing such appointment shall apply and on such re-appointment, he shall not be entitled to count any portion of his previous service for any benefit or concession admissible under this Act:

Provided that a member of Service, who after resignation has contested the general election to Parliament or State Legislature or in the elections to local bodies either as a party candidate or as an independent candidate, shall not be eligible for re-appointment to any service.

Acceptance of resignation.

19. (1) A member of Service may resign his appointment by giving notice of not less than three months in writing direct to the appointing authority with a copy marked to his immediate superior officer. The period of three months notice shall be reckoned from the date of receipt of such notice by the appointing authority.

(2) The member of Service may withdraw the notice of his resignation before its acceptance and withdrawal of resignation shall not be permitted after its acceptance by the appointing authority.

(3) The appointing authority shall issue orders on the notice of resignation before the date of expiry of notice, either accepting the resignation from a date not later than the date of expiry of the notice or rejecting the same, giving the reasons thereof. If no such order is passed, the resignation shall be deemed to have been accepted on the expiry of the period of notice.

(4) Notice of resignation given by the member of Service shall be accepted by the appointing authority, subject to the conditions—

(i) that no disciplinary proceeding is contemplated or pending against the member of concerned under rule 7 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016;

(ii) that a report from the Director of Vigilance and Anti-Corruption has been obtained to the effect that no enquiry is contemplated or pending against the member of Service;

(iii) that no dues are pending to be recovered by the Government from the member of Service; and

(iv) that there is no contractual obligation of any kind including contractual obligation to serve the Government during the period in which the member of Service seeks to resign.

(5) Notwithstanding anything contained in clauses (i) and (ii) of sub-section (4), where a member of Service, under suspension or against whom disciplinary or criminal action or vigilance enquiry is pending, seeks to resign, the appointing authority shall examine the nature and gravity of the case and may accept the resignation, if the case is not such as would warrant rejection of the notice of resignation.

Appeal or review.

20. (1) Where no specific provision for appeal or review against any order is provided under this Act or in the service rules for redressal of grievances, an appeal or review, as the case may be, shall lie to the authority to which an appeal or review petition would lie against an order of dismissal.

(2) An appeal or review under sub-section (1) shall be preferred within two months from the date of receipt of the orders by the appellant or the review petitioner, as the case may be.

(3) Every appeal or review under sub-section (1) shall be disposed of within a period of four months from the date of the receipt of the appeal or review petition.

(4) The appellate or reviewing authority may issue such interim directions, as it deems fit, pending final decision thereon in order to avoid any irreparable loss to the appellant or review petitioner or to avoid administrative inconvenience.

Special provision.

21. Notwithstanding anything contained in this Act, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.
22. Nothing contained in this Act shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the Government in this regard, from time to time.

23. If any provision of this Act is inconsistent with any provision of the service rules applicable to any particular service, the service rules shall, in respect of that service, prevail over the provisions of this Act.

24. Any rule continued by article 313 or made under the proviso to article 309 of the Constitution in respect of any service or category thereof shall be applicable to all persons holding posts intended to be held by members of that service or category on the date on which such rule was made:

Provided that nothing in any such rule shall, unless a contrary intention is expressly indicated therein, operate to deprive any such person of any right or privilege to which he is entitled by or under any rule or applicable to him prior to the making of such rule:

Provided further that no such rule shall be applicable to candidates who had been approved for appointment to any such service or category by the Commission or by any other authority competent in that behalf prior to the making of such rule or who had applied for such approval in response to any advertisement inviting applications, published by the Authority competent in that behalf prior to the making of such rule.

25. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of three years from the commencement of this Act.

(2) Any order passed under sub-section (1) shall, as soon as may be, after it is passed, be laid before the State Legislature.

26. (1) The Government may, by notification, amend or cancel the Schedule.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall, as soon as may be, after it is issued, be placed before the State Legislature.
FIRST SCHEDULE

[see section 10 (1)]

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Serial number</th>
<th>Name of Post</th>
<th>Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment.</th>
<th>Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than Direct recruitment.</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1             | All Group D posts except Sweeper, Chowkidar and Sweeper-cum-Chowkidar | (i) Matriculation from recognized Board.  
(ii) Hindi/Sanskrit upto matriculation, as one of the subject. | (i) Matriculation from recognized Board  
(ii) Hindi/Sanskrit upto Matriculation, as one of the subject.  
(iii) two years experience in relevant post |
| 2             | Sweeper, Chowkidar and Sweeper-cum-Chowkidar | Should be able to read and write Hindi. | (i) Should be able to read and write Hindi;  
(ii) two years experience in relevant post. |
SECOND SCHEDULE
[see section 11(1)]
CRITERIA FOR SELECTION

(1) The scheme of marks in respect of selection to Group D posts in the Service shall comprise of total 100 marks, as detailed below:-

   (i) Written Exam: 90 marks
   (ii) Socio-Economic criteria and experience: 10 marks

The marks for experience and some objective socio-economic criteria are to be allocated as follows:

(a) If no person from among the applicant’s father, mother, spouse, brothers, sisters, sons and daughters is, was or has been regular employee in any Department/ Board/ Corporation/ Company/ Statutory Body/ Commission/ Authority of Government of Haryana or any other State Government or Government of India.

   (5 marks)

(b) Orphan/Widow:-

   (i) if the applicant is a Widow; or
   (ii) if the applicant is the first or the second child and his father had died before attaining the age of 42 years, or
   (iii) if the applicant is the first or the second child and his father had died before the applicant had attained the age of 15 years.

   (5 marks)

(c) If the applicant belongs to such a denotified tribe (Vimukt Jatis and Tapriwas Jatis) or Nomadic tribe of Haryana which is neither a Scheduled Caste nor a Backward Class.

   (5 marks)

(d) Experience: One-half (=0.5) mark for each year or part thereof exceeding six months of experience, out of a maximum of 16 years, on the same or a higher post in any Department/ Board/ Corporation/ Company/ Statutory Body/ Commission/Authority of Government of Haryana. No marks will be awarded for any period less than six months.

   (A maximum of 8 marks)

(2) No applicant shall be given more than 10 marks under any circumstances.

(3) The waiting list for the vacancies upto 25 at 25%, for vacancies between 25 to 50 at 15% and for vacancies above 50 at 10% subject to the minimum of two candidates shall be prepared during selection.

(4) The main list as well as the waiting list shall remain valid for a period of one year from the date of recommendation.

(5) The recruiting agency while making recommendations shall clearly indicate the main list and the waiting list. The main list shall contain the number of candidates equal to the number of demand made by the department to the recruiting agency.
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The selection and appointments to Group-D posts are governed by the service rules of the concerned Departments. Different departments have prescribed different minimum age and educational qualifications for appointment to these posts. This causes a lot of inconvenience and financial burden on the candidates. With a view to have common age and educational qualifications as well as to ensure transparency in selection of candidates the Government of Haryana has decided to provide for common minimum age, common minimum educational qualifications and a transparent selection criteria alongwith some weightage for socio-economic status, experience and doing away with practice of interviews in case of Group-D posts.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 10th March, 2018.

R. K. NANDAL,
Secretary.
प्राप्तिकृत अनुवाद

2018 का विचारण संख्या 17-एचएन-२०१८

हरियाणा गुप्त घर कर्मचारी (भारतीय सेवा की शर्तों) विचारण, 2018

राज्य में हरियाणा गुप्त घर कर्मचारियों की भारतीय सेवा की शर्तों को

विनियमित करने के लिए तथा उनसे सम्बद्धता तथा उनसे आनुपातिक मामलों के लिए

विचारण

भारत गणराज्य के उनहारतांबंध में हरियाणा राज्य विधानसभा द्वारा निर्मलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-—

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा गुप्त घर कर्मचारी (भारतीय सेवा की शर्तों) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।

   (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

   (3) यह—

      (क) तत्समय लागू किसी विधि द्वारा या के अधीन ; या

      (ख) ऐसे सदस्य तथा सरकार के बीच जारी रहने वाली किसी संविदा या कार द्वारा

      ऐसी सेवा के किसी सदस्य के सम्बन्ध में, अन्यथा अनुमोदि रूप से उपबोधित सीमा के निर्णय, राज्य या अधीनस्थ सेवाओं में, गुप्त घर के किसी पद, चाहे अस्तित्व

      या लागू हो, पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू होगा।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न नौ—

   (क) “नियुक्ति प्रशिक्षक” से अधिनियम है, किसी सेवा या पद के संबंध में भारत के संविधान के अनुसार 309 के पारनुके के अधीन बनाए गए सेवा नियमों में ऐसे रूप में तिनिर्देश प्रशिक्षक होने के लिए प्रशिक्षक शिक्षा या प्रशिक्षण प्राध्यात्मिक होता है;

   (ख) “नियुक्ति” से अधिनियम है, इस अधिनियम के आधार पर नियम, जैसे भी रुपांतर हों, के अनुसार सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति, जो प्राध्यात्मिक बार ऐसी सेवा के संबंध में किसी पद के कर्तव्यों का निर्वाह करता है या उसकी विनियम परीक्षा, शिक्षा या प्रशिक्षण प्राध्यात्मिक होता है;

   (ग) “अनुमोदन परीक्षक” से अधिनियम है, सेवा का कोई सदस्य, जिससे अपनी परीक्षा संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है और ऐसी सेवा या प्रवर्धन के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण में है;

   (घ) “सौदी नियुक्ति” से अधिनियम है, किसी सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से कार्यक्तिक नियुक्ति या पदभारनियम से अन्यथा गई नियुक्ति या प्रतिष्ठित नियुक्ति;

   (ङ) “सेवाव्यवसाय परीक्षक” से अधिनियम है, कोई पूर्णकालिक सदस्य या ऐसी सेवा से उसे प्रशिक्षित करता हुए किसी अन्य सेवा या प्रवर्धन का अनुमोदित परीक्षकारी या जिसकी राजस्व तथा साधन क्रम दी गई है;

   (च) “पूर्णकालिक सदस्य” से अधिनियम है, कोई सदस्य जिससे उस सेवा के लिए पुनः तिनिर्देश की गई है जिसमें उसकी प्रथम नियुक्ति की गई है;

   (छ) “सरकार” से अधिनियम है, सामान्य प्रशासन विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

   (ज) “निर्माण्याय” का वही अर्थ होगा जो उसे हरियाणा निर्माण सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के निर्म ८ के खंड (A) में दिया गया है और इसमें निर्माण्याय की मान्यता का प्रमोग करने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त कोई अन्य प्राथिकारी भी शामिल है।
(3) “कार्यालयाध्यक्ष” का वही अर्थ होगा, जो उसे हरियाणा शिविर सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 8 के खंड (39) में दिया गया है;
(4) “सेवा का सार” से अभिप्रय है, कोई व्यक्ति, जिसे सेवा में नियुक्त किया गया है, किन्तु इसमें धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति शामिल नहीं है;
(5) “भारी अभिक्रिया” से अभिप्रय है, हरियाणा कम्वारी चलन आयोग या सेवा में नियुक्त के लिए उम्मीदवारों के चलन के लिए सरकार द्वारा गठित ऐसा अन्य निर्धारण;
(6) “मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था” से अभिप्रय है—
(i) भारत में विभिन्न द्वारा निर्माण कोई विश्वविद्यालय या संस्था, या
(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय या संस्था, जो सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था घोषित की गई है;
(7) “अनुसूची” से अभिप्रय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;
(8) “सेवा” से अभिप्रय है, राज्य में कोई गृह घर सेवा;
(9) “सेवा निम्नों” से अभिप्रय है, राज्य में गृह घर पदों की भारी तथा सेवा की शारी को विशिष्टतम करने के लिए भारत के संविधान के अनुसूचल 309 के पर्वतकूल के अधीन बनाए गए सेवा निम्न;
(10) “राज्य” से अभिप्रय है, हरियाणा राज्य।

3. सेवा में सभी पदों पर नियुक्ति विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष, जैसी भी रिविशित हो, द्वारा की जाएगी।

4. हरियाणा शिविर सेवा (सामान्य) नियम, 2016, हरियाणा शिविर सेवा (ितन) नियम, 2016, हरियाणा शिविर सेवा (ितन) नियम, 2016, हरियाणा शिविर सेवा (ितन) नियम, 2016, हरियाणा शिविर सेवा (ितन) नियम, 2016, हरियाणा शिविर सेवा (ितन) नियम, 2016 द्वारा, जहां तक ये लागू हों तथा इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उल्लिखित सीमा के रिवाज, सेवा के सदस्यों के वेतन, भत्ते, छद्दूटी, पेशन तथा सेवा की शारी के मामले शालिंग होंगे।

5. सेवा का स्वायत्त संबंध, प्रवर्तन तथा गृह घर सेवा द्वारा अधिकृत किया जाएगा।

6. कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर सीधी भारी द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो अदालत वर्ष से कम या ब्यावहारी वर्ष की उम्र से अदालत का हो:
परन्तु जहां सेवा निम्नों में पदों के लिए विशेष रूप से निम्न तथा उपरी आयु सीमाएं मिन-मिन विनियम की गई हैं, वे सीमाएं ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए लागू होंगी:
परन्तु यह और जिसे अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, मूलभूत सीमित न होने वाले अभिक्रियाओं के व्यक्तियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों की वश में, उपरी आयु सीमा ऐसी होंगी, जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, नियत की जाए।

7. सेवा में सभी पदों पर भारी, भारी अभिक्रिया द्वारा की जाएगी:
परन्तु सीपीएस, वीडियो तथा वीडियो एक्सप्रेस वीडियो द्वीरा के पदों पर भारी ऐसे अन्य निम्नों द्वारा की जाएगी, जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, गठित किए जाएंगे।

8. (1) जहां सरकार की राय में, इस अधिनियम या संविधान के अनुसूचल 309 के पर्वतकूल और अनुसूचल 315 के अधीन बनाए गए किन्तु अन्य सेवा निम्नों (जिन्हें, इसके बाद, इस धारा में उक्त निम्नों के रूप में निर्देशित किया गया है) के किसी उपबंतों से असहाय विशेष उपबंत, सेवा में किसी विशिष्ट या सीधी पदों के संबंध में भारी, लेकिन, पेशन, अभिशासन तथा आचरण के सम्बन्ध में विशेष उपबंत के लिए जाने अभिक्रियात्मक है, तो सरकार इस अधिनियम या उक्त निम्नों के उपबंतों से अभिशासन ऐसे पद पर नियुक्ति कर सकती है तथा किसी भी मामले, जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार की राय में विशेष उपबंत के लिए जानें अभिक्रिया है, तथा उपबंत सीमा तक तकर तकर में ऐसे उपबंत के लिए गठित किए गए, के लिए इस प्रकार नियुक्ति व्यक्ति के लिए सरकार उल्लब्ध करेगी। इस अधिनियम या उक्त निम्नों की कोई भी बात, किसी गलती, जिसके लिए करार में उपबंत किया गया है, के सम्बन्ध में इस प्रकार नियुक्ति किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी:
परस्तु किसी मामले, जिसके सम्बन्ध में कार में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में, इस अधिनियम या उज्जवल नियमों के उपबन्ध नहीं होंगे।

(2) उप-शास्त्र (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति सेवा का सदस्य नहीं होगा और उस सेवा का किसी अन्य सेवा में केवल इस कारण से किसी अन्य नियुक्ति के लिए किसी अधिमान्तित दार्शन के लिए ऐसी नियुक्ति के लिए हकदार नहीं होगा।

9. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, प्रथम अनुमस्त के खाने 3 में विनिर्दिष्ट और सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त व्यक्तियों की दशा में पूर्णता अनुसूची के खाने 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएँ तथा अनुभव न रखता हो।

(2) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह निम्नविश्लेषित न हो,-

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल का प्रजा; या

(ग) भूटान का प्रजा : चारण मानदंड।

परस्तु प्रवर्ण (क) या (ग) से संबंधित किसी प्रवर्ण का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(3) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, उसे संबंधित प्रथम के लिए प्रवर्ण किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव केवल उसकी सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र प्रदान करने के बाद ही दिया जा सकता है।

(4) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह अन्यतः उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रमाण ईश्विक अधिकारी से चिह्न प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य निर्देश व्यक्तियों से जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भी भारतीय परिवर्तित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

(5) कोई भी व्यक्ति,-

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी या व्यक्ति से विवाह किया लिया है या विवाह की संबंधित कर तो है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया लिया है या विवाह की संबंधित कर तो है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : चारण मानदंड।

परस्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पत्र पर लागू स्वीक विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुमूल्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छुटे दे सकती है।

10. (1) पुराने देशों के लिए उम्मीदवारों के चयन और किसी विभाग या कार्यालय को उनके नामों की सिफारिश करने की दशा में, कोई भी साइटकार नहीं होगा और चयन के लिए निर्दिष्ट परीक्षा और मानदंड ऐसे जारी हों, जो द्वितीय अनुमस्ति में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) उम्मीदवार विभागों की अनगानित संख्या के लिए आवंटन कर सकता है और ऐसे विभागों के लिए अपनी स्वीकृति भी दास्तांग।

11. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ता किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि वह अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवर्तित पर रहेगा :

परस्तु-

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुसूची या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्त पर व्यक्ति के पाँच कोई अवधि, परिवर्तित अवधि में मिली जाएगी;
HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 10, 2018 (PHGN. 19, 1939 SAKA)

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकरण की राय में परिश्रमी की अधिक से दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भत्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भत्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य शीत में कार्यवाद कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुसार करे।

(3) किसी व्यक्ति की परिश्रमी अधिक पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकरण—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अन्य रिति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पूरे कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अन्य रिति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसकी रिति रहने की तिथि से पूरे कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई अन्य रिति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिश्रमी अधिक संतोषजनक दंग से पूरी कर ती ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भत्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है तथा यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य शीत में कार्यवाद कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुसार करे ; या

(ii) उसकी परिश्रमी अधिक बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिश्रमी की प्रमाण अधिक की समापति पर कर सकता था:

परन्तु परिश्रमी की कुल अधिक, जिसमें बढ़ाई गई अधिक, यदि कोई हो, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12. कोई सेवोन्मुक्त परिश्रमी, जिसकी सेवाएं धारा 11 के अधीन समाप्त कर दी गई हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित ऐसे आदेशों के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है।

13. अनुमोदित परिश्रमी की उसकी परिश्रमी संतोषजनक पूरी होने के बाद तुरंत पुनः किये जाने के लिए विचारण जाएगा। ऐसी पुनः पद के प्रवेश सूत्र पर की जाएगी जिस पर उसकी प्रथम नियुक्ति की गई थी और सेवा को पुनः करने के लिए आदेश जारी किया जाएगा।

14. सेवा के सदस्यों की परस्पर जेलचालन सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निशिचत की जायेगी:

परन्तु जब सेवा में विभिन्न संरचना हो, वहाँ जेलचालन प्रत्येक संरचना के लिए अलग—अलग निशिचत की जायेगी।

परन्तु यह और कि सीधी भत्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, जेलचालन नियुक्त करते समय भत्ती अभिकरण द्वारा निशिचत गोष्टिकारक भंग नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी जेलचालन निम्नलिखित रूप से निशिचत की जायेगी—
15. सेवा का कोई भी सदस्य प्रवर्ण, जिसमें वह सेवा में नियुक्त किया गया था, से पदोन्नति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तब वह उस प्रवर्ण में अपनी परिवेशित संतोषजनक रूप से पूरी नहीं कर लेता है:

परन्तु सेवा का कोई सदस्य, जो प्रवर्ण, जिसमें वह सेवा में नियुक्त किया गया था, में अपनी परिवेशित संतोषजनक रूप से पूरी कर लेता है, अग्रणी उच्चतर प्रवर्ण में पदोन्नति किया गया है, किसी बात के होने हुए भी कि उसने ऐसे उच्चतर प्रवर्ण में उसकी परिवेशित संतोषजनक रूप से पूरी हुई योग्यता नहीं कर लेता, ऐसे सेवार व्यक्ति से पदोन्नति के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह और कि यदि कोई प्रवर्ण में पद का विनियम या वेतन बेड या वेतन में प्रमाणित है, तो वेतन बेड में उच्चतर वेतन या वेतन बेड या वेतन में प्रमाणित वेतन पद को धारण करने वाले व्यक्ति का विवाह जाना और कि, यदि उस कोई प्रवर्ण में पद धारण करने वाला कोई अर्क तथा उपयुक्त योग्यता उपलब्ध नहीं है, तो अन्य प्रकार प्रवर्ण में अपरिहार क्रम में अग्रणी उच्चतर वेतन में वेतन बेड या वेतन में प्रमाणित वेतन पद को धारण करने वाले व्यक्ति को विवाह जाना।

16. किसी अधिनियम सेवा में या पदों के धारकों में से सेवा में अधिनियम अधार पर भारी द्वारा नियुक्ति मिली तथा बोधग्य के अधार पर तीज सेवा बनाए और योग्यता लाभ करना है, तो केवल ज्योतिष पर विवाह किया जा जाए ।

17. सेवा के किसी भी सदस्य, जो अधिनियम के बाद सेवा विवाह पर है, को सेवा विवाह की अवधि के दौरान किसी उच्चतर प्रवर्ण पर राजनीतिक ड्राफ्ट या तो पदोन्नति द्वारा या भारी द्वारा नियुक्ति के लिए नहीं विवाह जाना।

18. सेवा के सदस्य, जिद्द वह अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र देता है, तो त्यागपत्र के समय पर उसके द्वारा धारित विशेषज्ञ पर उस त्याग की दृष्टि से सेवा और सरकार के अधीन उसकी पूरी की सभी सेवाएं भी समाप्त हो जाएँगी। किसी सेवा में ऐसे व्यक्ति का पुनर्नियुक्ति सीधी भारी द्वारा ऐसी सेवा के लिए प्रमाण नियुक्ति के रूप में समझा जाएँगी और ऐसी नियुक्ति को शासित कर देने से लागू किया गया तथा ऐसी पुनर्नियुक्ति पर, यह अधिनियम के अंतर्गत किसी लाभ या अनुष्ठान पूरे के लिए अपनी पूरी सेवा के किसी भाग को शामिल करने के लिए एक दूसरे नहीं होगा:

परन्तु सेवा का कोई सदस्य, जिसने त्यागपत्र के बाद या तो किसी अधिनियम द्वारा रूप में या किसी निदेशक उच्चतम द्वारा रूप में संचालित या राज्य विधानशासन या राज्यीय नियमों के निर्देशों में आम चुनाव लड़ा है, तो किसी सेवा में पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

19. (1) सेवा का कोई सदस्य अपने वीषम अधिकार को मार्कब्यू प्रति सहीत नियुक्ति प्राधिकारी को सीधे लिखित में कम से कम तीन मास को नोटिस देते हुए अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र देता है।

(2) तीन मास के नोटिस की अवधि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे नोटिस की प्राप्ति की लिखित से निम्न जाना है।

15. पदोन्नति।
16. सेवा विवाह के दौरान अधिनियम द्वारा नियुक्ति वा नियुक्ति।
17. त्यागपत्र के परिमाण।
(3) नियुक्ति प्राधिकरण नोटिस की सामापत्ति की लिखित रूप से पूर्व लागू पत्र के नोटिस पर या तो ऐसी लिखित जो नोटिस की सामापत्ति की लिखित रूप से बाद की न हो, से लागू पत्र स्थीरकार करने या उसके रद्दाकरण के कारण देने हुए आदेश जारी करने। यदि कोई भी ऐसा आदेश पार्शित नहीं किया जाता है, तो लागू पत्र नोटिस की अवधि की सामापत्ति पर स्थीरकार किया समझा जाएगा।

(4) सेवा के सदस्य डायरिय में दिये गये लागू पत्र का नोटिस नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा, नियुक्तिकर्ता सेवा के अधीन नियुक्ति किया जाएगा।

(5) उप-धारा (4) के खाते पृष्ठ. (पृष्ठ. पृष्ठ) में दिया गया किसी बात के होते हुए भी, जहाँ सेवा का कोई सदस्य, जो निर्देशनसंबंधी है या जिसकी विरुद्ध अन्य पाण्यविधि या दायित्वकारियों का निर्देशन के लिए उपचार, जो नियुक्ति प्राधिकरण गाभने के स्वयं और नियुक्ति की जावस्था और लागू पत्र स्थीरकार कर सकता है, यदि मामला ऐसा नहीं है जो लागू पत्र के नोटिस के रद्दाकरण के रूप में होगा।

अपील या पुनिचिकलक

20. (1) जहाँ किसी आदेश के विरुद्ध अपील या पुनिचिकलक के लिए कोई भी निर्देशित उपचार दिया जा सके करने के लिए अधिनियम के अधीन या सेवा नियम के लिए विलयित नहीं है, या वह अपील या पुनिचिकलक, जो किसी भी शिकार हो, ऐसे प्राधिकरण को किया जाएगा जिसकी अपील या पुनिचिकलक याचिका किसी अन्य आदेश के विरुद्ध हो।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई अपील या पुनिचिकलक अपीलकार्य या पुनिचिकलक याचिकाकार, जो किसी भी स्थिति हो, द्वारा आदेश की प्राप्ति की स्थिति से दो माह के भीतर की जाएगी/किया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन प्रमेय अपील या पुनिचिकलक, अपील का पुनिचिकलक याचिका की प्राप्ति की स्थिति से चार माह के भीतर निम्नलिखित किया जाएगा।

(4) अपील से पुनिचिकलक प्राधिकरण अपील/पुनिचिकलक याचिकाकारों को किसी अन्य पुनर्गठन के लिए या प्रामाणिक असुविधा से बचने के लिए अन्य प्राधिकरण आदेश जारी कर सकता है, जो वह ठीक समय हो।

विशेष उपचार

21. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकरण नियुक्ति आदेश में विशेष निवंदन और शर्तों अधिकृत कर सकता है यदि ऐसे करने के लिए समीचित चला गया है।

अर्थात

22. इस अधिनियम में दी गई किसी भी बात, सरकार द्वारा, इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुशंसित जातियों, पिछड़े गर्ली, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांक यथित्वों या यथित्वों के किसी अन्य गर्लों या प्रवर्तन के लिए उपचार करने हेतु अपील कराने के लिए अनुशंसित आक्षेपों और अन्य रियायतों को निर्देशित नहीं करेंगे।

23. यदि इस अधिनियम का कोई उपचार किसी विशेष सेवा के लिए लागू सेवा नियम के किसी उपचार से असंगत है, तो सेवा नियम उस सेवा नियम के संबंध में, इस अधिनियम के उपचारों पर अभिनवी होगा।

24. किसी सेवा या उपचार प्रवर्तन के संबंध में स्वीकार की अनुच्छेद 313 या अनुच्छेद 309 के परिसर द्वारा बाबुनियात का किसी भी विभाग या प्रवर्तन के संबंध में द्वारा जारी किए जाने वाले आश्वासन पद्धत को धारण करने वाले एवं आश्वासनों को ऐसे विरोध जिसके ऐसे नियम लागू था, को लागू होगा: परन्तु किसी ऐसे नियम के कोई भी बात जब तक उसमें स्पष्ट रूप से प्रतिकृत आश्वासन नहीं दर्शाया गया है, तब तक किसी ऐसे व्यक्ति की किसी अधिकार या विवेकाधिकार, जिसके लिए वह ऐसे नियम बनाने से पूर्व उसको लागू किसी नियम द्वारा या किसी अधीन इकाई करने, से किसी ऐसे व्यक्ति को विध्वंस करने के लिए लागू नहीं होगा:
25. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों तथा जो आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्ररम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जा सकता।

(2) उप-धारा (1) के अधीन पारित कोई आदेश, इसके पारित होने के बाद, यथाशीर्ष, राज्य विधानमंडल के समुख रखा जा सकता।

26. (1) सरकार, अधिरूपना द्वारा, अनुसूची को संशोधित या रद्द कर सकती है।

(2) उप नियम (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिरूपना, इसके जारी होने के बाद, यथाशीर्ष, राज्य विधानमंडल के समुख रखी जाएगी।
प्रथम अनुसूची

[(देखिए धारा 10 (i))]

शैक्षणिक योग्यताएं

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम संख्या</th>
<th>पदनाम</th>
<th>सीधी भरी के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुमंत्र, यदि कोई हो</th>
<th>सीधी भरी के अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुमंत्र, यदि कोई हो</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>स्वीपर, चौकीदार और स्वीपर-एवं-चौकीदार के सिवाय ग्रुप घ के सभी पद</td>
<td>(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक्यूलेशन। (ii) मैट्रिक्यूलेशन तक एक विषय के रूप में हिन्दी/संस्कृत।</td>
<td>(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक्यूलेशन। (ii) मैट्रिक्यूलेशन तक एक विषय के रूप में हिन्दी/संस्कृत। (iii) संक्षिप्त पत्र पर दो वर्ष का अनुभव।</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>स्वीपर, चौकीदार और स्वीपर-एवं-चौकीदार</td>
<td>हिन्दी पढ़ने तथा लिखने में योग्य होना चाहिए।</td>
<td>(i) हिन्दी पढ़ने तथा लिखने में योग्य होना चाहिए। (ii) संक्षिप्त पत्र पर दो वर्ष का अनुभव।</td>
</tr>
</tbody>
</table>
द्वितीय अनुसूची

[[उद्धेज ११ (१)]]

चयन के लिए मानदंड

(१) सेवा में गुप्त घटनाओं के चयन के संबंध में अंकों की संख्या में कुल १०० अंक शामिल होंगे, जिसका विवरण नीचे दिया गया है—

(i) लिखित परीक्षा : ९० अंक

(ii) सामाजिक-आर्थिक मानदंड तथा अनुभव : १० अंक

अनुभव तथा कुछ वस्तुनिष्ठ सामाजिक-आर्थिक मानदंड के लिए अंक निर्धारित किए जाने हैं :—

(ख) यदि आवेदक के पिता, माता, पति-पत्नी, भाई, बहनों, बेटों और बेटियों में से कोई भी यथिक्ष, हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग/बॉर्ड/ निगम/कंपनी/कैदी मांग नि:काय/आयोग/प्राधिकरण में नियुक्त रहने वाले नहीं है।

(५ अंक)

(ग) अनाथ/विधवा—

(i) यदि आवेदक विधवा है; या

(ii) यदि आवेदक प्रथम या द्वितीय बालक है और उसके पिता की मृत्यु बयानी में वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई हो; या

(iii) यदि आवेदक प्रथम या द्वितीय बालक है और आवेदक के पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी होने से पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई है।

(५ अंक)

(घ) यदि आवेदक ऐसी अनविभूषित जनजाति (विमुक्त जाति और टापिसार जाति) या हरियाणा की धूमनार जनजाति से संबंधित है, जो न तो अनुसूचित जाति है और न ही पिछड़ा वर्ग है।

(५ अंक)

(ङ) अनुसूचि: हरियाणा सरकार के किसी विभाग/बॉर्ड/निगम/कंपनी/कैदी मांग नि:काय/आयोग/प्राधिकरण में समान या उच्चतर पद पर अधिकार 16 वर्षों में से अनुभव के प्रति काम या छह मास से अधिक के उत्तरार्ध के लिए आधा (३०.५) अंक। छह मास से कम किसी अन्य वर्ग के लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा।

(अधिकार ८ अंक)

(२) किसी भी आवेदक को किसी भी परिस्थिति में दस अंकों से अधिक अंक नहीं दिये जाएँगे।

(३) न्यूनतम २ उम्मीदवारों के अधीन २५ रिक्तियों के लिए २५ प्रतिशत, २५ से ५० के बीच की रिक्तियों के लिए १५ प्रतिशत और ५० से अधिक रिक्तियों के लिए १० प्रतिशत की प्रतिशत सूची चयन के दौरान तैयार की जाएँगी।

(४) मुख्य सूची के साथ-साथ प्रतिशत मुख्य सूची सिफारिश की संधि से एक वर्ष के लिए मांग होगी।

(५) सिफारिशें करते समय भारी अभिव्यक्त प्रयत्न सिफारिश की संधि से एक वर्ष के लिए मांग सिफारिश की संधि से एक वर्ष के लिए मांग होगी।
उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

गृप 'घ' के पदों के लिए चयन और नियुक्ति सम्बन्धित विभागों के सेवक नियमों द्वारा शासित की जाती है। विभिन्न विभागों द्वारा इन पदों पर नियुक्ति के लिए नूतनतम आयु और शैक्षणिक योग्यताएं अलग-अलग विभिन्न होती हैं। इसलिए उम्मीदवारों को बहुत ही अस्पष्टता होती है और जब पर वित्तीय बोझ पड़ता है। इसके द्वारा यथायोग्य में रखने हरियाणा सरकार ने कम से कम आयु और शैक्षणिक योग्यताएं और चयन का पारदर्शी तत्कालीन आधार, अनुमोदन और गृप 'घ' के पदों के चयन में साक्षात्कार खोल करके सामान्य नियम बनाने का निर्देश दिया है।

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 10 मार्च, 2018.

आरो कौन नांदल,
सचिव।